

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH AT
NEW DELHI
IN O.A. NO 379/2024

IN THE MATTER OF
 BHUVAN CHANDRA BHATT

...COMPLAINANT

VERSUS

MEMBER SECRETARY, UTTARAKHAND
 POLLUTION CONTROL BOARD & ORS

...RESPONDENTS

INDEX

S.No	Particulars	Page no
1.	Reply on behalf of respondent no 3, DFO, Almora, Uttarakhand in compliance of the order dated 13.2.2023.	1-9
2.	Annexure A Copy of the order dated 13.02.2023	10-13
3.	Annexure B Copy of the permission letter dated 22.11.21 and 14.09.2022	14-16
4.	Annexure C Copy of the on-spot inspection report.	17
5.	Annexure D Cases registered for 6 illegal felling of trees.	18-19
6.	Annexure E Copy of the order imposing fine.	20
7.	Annexure F Copy of tabular chart of violators	21-31
8.	Annexure G Copy of the order of fine on violators for fleeing 288 trees.	32-34
9.	Annexure H Copy of the report.	35-36



Dated: 17.05.2025

Adv Anjali Rajput

Panel Counsel for State of Uttarakhand



**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH AT
NEW DELHI**

IN O.A. NO 379/2024

IN THE MATTER OF

BHUVAN CHANDRA BHATT

...COMPLAINANT

VERSUS

MEMBER SECRETARY, UTTARAKHAND

POLLUTION CONTROL BOARD & ORS

...RESPONDENTS

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 3, DIVISIONAL FOREST

OFFICER, ALMORA, UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF THE

ORDER DATED 13.02.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL.

Most respectfully showeth:

I Deepak Singh Aged about 34 Years S/o Sh. Harendra Singh presently posted as Divisional Forest Officer, Almora Uttarakhand Government of Uttarakhand hereby solemnly affirm on oath and state as under:

1. That in my above-mentioned official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present case, and I am fully competent to file present Reply by way of affidavit.
2. That present case was listed before this Hon'ble court on 13.02.2025.

That the operative part of the order seeking necessary compliance from the deponent is as follows:



“4. Learned Counsel appearing for the State of Uttarakhand submits that the PCCF had passed the final order under Section 10 of the Act. She is directed to file a copy of the said final order:

5. The report of the DFO, Almora, dated 23.07.2024 also discloses that in addition to the above 35 trees, 10 trees were found to be cut whereas the permission was for cutting of four Chir trees. For the remaining six illegally cut trees, the criminal offence was registered. The details of the offence so registered have not been disclosed in the report. Hence, in the next report, the DFO, Almora will disclose the details of the offence and also the outcome thereof....

10. Learned Counsel representing Respondents No. 3 and 4, DFO, Almora and District Magistrate, Almora, has also submitted that these authorities will ascertain the role of the Solar Power companies in the illegal felling of trees and will take appropriate action.”

That the copy of the order dated 13.02.2025 is Annexed as **Annexure A**.

3. That in pursuance of the para no 4 of order dated 13.02.2025 it is respectfully submitted that under the aegis of the Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976, the imposition of penalties Section 10 which is imprisonment and imposition of statutorily prescribed fine, is a



[Handwritten signature]

matter reserved for the judicious pronouncements of a competent court. This judicial prerogative ensures that such consequential impositions are preceded by a due and fair process of adjudication and as such does not fall with this the functions and domain of the deponent. Whereas Section 15 of the Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976, specifically empowers officers within the Forest Department to offer a more expeditious way for resolution in certain instances which is to accept a sum by way of composition.

4. That with utmost deference to the statutory provisions and after due consideration to the representations of the violators, on spot inspection was done to determine the compensation, diameter of the trees (*Species Ched/ Baaj*) fallen without permission. That the observation of the report is as follows:

- a. That the pegs belonging to the *Celtis australis* (Ched) and *Toona ciliata* (Baj) species, of different diameters consistent with Class I specifications, was found on the land. That the violators explained that the severance of the trees was a consequence of their lack of awareness and was undertaken to meet household requirements and further requested no legal action may be initiated against them.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

b. That permission to fell 35 and 25 trees was given as per letter no 2828/TC/23-3 dated 22.11.21 of office Almora and as per letter no 1589/7C/23-3 dated 14.09.2022. That the copy of the letters is annexed as **Annexure B**.

c. That as per E-3 no 1261 page no 88,89,90,91,92,93,94,95,96 for remaining 288 severed trees a penalty of Rs. 14,40,000/- (288 X 5000) has been imposed. Copy of the order imposing penalty is annexed as Annexure C.

That the on-spot inspection report is annexed as **Annexure C**.

5. It is respectfully submitted that, in accordance with Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976, section 15 which states as under:

“Section 15 (1) The State Government may by notification authorize any officers to accept any person against whom there is reason to believe that he has committed offence under this Act in respect of any tree other than a tree situated in a forest, grove or public premises, such sum of money not exceeding Rs. 5,000 by way of composition for the offence which such person is suspected to have committed.

(2) On the payment of such sum of money to any such officer, the suspected person if in custody shall be released and no further proceedings under this Act shall be taken against such person and notwithstanding anything contained in Section 14, such officer may on



✓

payment of such amount, not exceeding five thousand rupees as he may in the circumstances of the case think fit, release the property seized under this Act."

It is submitted that, section 15 of the Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976 prescribed maximum penalty that can be levied upon violators for illegally felled trees is ₹5,000/-.

6. That in compliance of the para no 5 of the or order dated 13.02.2025, Hon'ble tribunal directed submission of details of action qua violators for illegal severance off remaining six trees. That it is respectfully submitted that as per the earlier submitted report dated 23.07.2024, it is stated that a total 10 trees were severed, of this permission was granted for only 4 trees and consequently, the action for illegal felling of remaining 6 trees was initiated against violators under Section 4 read with section 10 of Uttar Pradesh Tree Protection Act. It is further submitted that the violators have agreed availed the remedy under section 15 of the act and the maximum penalty prescribed under law i.e Rs 30,000/- (6 X 5000) has been imposed upon them. That the copy of the case registered qua violators for felling of 6 trees is Annexed as **Annexure D** and imposition of fine order is annexed as **Annexure E**.




7. That in compliance of the para no 6 of the or order dated 13.02.2025 it is respectfully submitted the report of the joint inspection conducted on 25.10.2024 and 26.10.2024 reveled total of 348 stumps of trees at site, at the spot, information of permission of felling 60 trees was provided however, no permission was provided for remaining 288 trees felled. That regarding remaining 288 illegally felled trees, cases were duly registered and in accordance with the provisions of section 15 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act, 1976 a fine of Rs 14,40,000/- has been imposed. That a tabular chart is being annexed as **Annexure F** for the convenience of this hon'ble court to determine the action initiated and fine imposed upon the violator against the tree fell by them and the copies of the cases registered against the violators is annexed as **Annexure G**.
8. That in compliance of the para no 10 of the or order dated 13.02.2025 it is respectfully submitted that a joint committee was constituted to ascertain the role of Solar Power Companies in illegal felling of trees by the District Magistrate, Almora vide order no 8232/ tees-a.j.a./A/2021-22 dated 03.09.2022. That in the conclusion, following actions have been suggested by joint committee in its report, which are as follows:



- a. That the solar plant owners have illegally encroached government land measuring 0.500 hectare which is registered as class 9(3) D barren land in Khasra no 56 and Khasra no 1105 of village Kunidhar.
- b. That from 22.09.2022 till date solar plants have generated a total of 28050 unit of electricity per month i.e 9,25,650 unit of electricity in 33 months with a profit of Rs 40,54,347/- (1 unit @ Rs 4.38) is earned by the companies by violating the rules and laws.
- c. The committee recommends that that profit earned by generating electricity by the Solar Companies should be recovered, in addition to the penalty upon the profit earned, initiation action for illegal encroachment on government land, action for illegal felling of 348 trees and cancellation of permissions issued to solar plant owner 1. Sugashu Jindal and Ruchi Agarwal resident Ramnagar Swami M/s Northern Solar Energy Pvt. Ltd. 2. Isha Agarwal resident Kashipur Swami M/s Bindal Laser Homes Pvt. Ltd. And 3. Suresh Jindal and Rakesh Agarwal resident Ramnagar Swami M/s SRN Sun N Solar Energy Pvt. Ltd. for operating the solar plant.

That the copy of the report is annexed as **Annexure H**.



9. It is respectfully submitted that the recommendations of the Joint Committee, constituted by the order of District Magistrate, Almora, are currently being considered by the relevant departments. That the deponent the deponent seeks accommodation for one month's time for filing a detailed report of action taken in terms of the recommendations of the Joint committee. That the copy of the report dated 16.05.2025 is annexed herewith as **Annexure I**.

10. That, in view of the compliance detailed hereinabove, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to take the present reply on record. It is further submitted that any further directions as may be issued by this Hon'ble Tribunal shall be duly complied with, in a timely manner and in the larger interest of environmental protection and public welfare.

11. That the deponent is a responsible Government servant having the highest regards for this Hon'ble Tribunal and orders passed by them.


Deponent

Verification:

Verified at Almora on the ...^{17th} of May 2025, that the contents of the response affidavit are true and correct to the best of my knowledge and



belief based on the official record and nothing is false, and no material has been concealed therefrom.



Deponent



Attested & authenticated the execution by me. at 1.30 P.m. on 17-05-2025


Chandra Shekhar Kapkoti
Notary
H. Q. - ALMORA (U. K.)
Reg. No. - 29(02)2017

Item No. 07

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 379/2024

Bhuwan Chandra Bhatt

Applicant

Versus

Member Secretary, Uttarakhand Pollution
Control Board & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 13.02.2025

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Applicant: Mr. Bhuwan Chandra Bhatt, Applicant in Person

Respondent: Mr. Mukesh Verma & Ms. Vatsala Tripathi, Advs. for UKPCB
Ms. Anjali Rajput, Adv. for R - 3 & 4

ORDER

1. In this original application, based on a letter petition, a resident of Village Kunidhar, Tehsil Bhikiasen, Almora had made a complaint about indiscriminate felling of Chir and Banj trees by the Solar Power Companies.

2. The DFO, Almora, Respondent No. 3 had filed the reply dated 23.07.2024 disclosing as under:

"1. कि माननीय विधायक श्री महेश जीना 49- सल्ट विधानसभा के कार्यालय पत्र सं० 162 दिनांक 06.08.2022 के द्वारा ग्राम कुणीधार में सोलर प्लांट के भूमि में कटे वृक्षों की संख्या तथा भूमि के विवरण के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी भिकियासैन की पत्र सं० 10(1) / मुख्य-एस०टी०/2022 दिनांक 17-08-2022 के द्वारा गठित जांच टीम वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा मौके पर गये भू अभिलेखों के निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि नार्दन सोलर एनर्जी प्रा० लि०, विन्दाल सोलर प्रा० लि० एवं एस० आर० एन० सोलर एनर्जी प्रा० लि० कम्पनी द्वारा ग्राम कुणीधार के खाताधारक ग्रामीणों के मध्य 30 वर्षों की लीज डील के आधार पर सोलर प्लांट का निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा उक्त भूमि पर वृक्षों की गणना वन विभाग द्वारा किया गया। (संयुक्त जांच रिपोर्ट संलग्नक-01).

1

2. कि प्राप्त शिकायत के आधार पर दिनांक 07.07.2023 की वन विभाग द्वारा जांच कर नाम भूमि में 35 वृक्षों के खुट कटे हुए पाये जाने पर नार्दन सोलर एनर्जी प्रा० लि० के नाम अपराध पंजीकृत कर जुर्माना वसूल किया गया। (संलग्नक-02).
3. कि सोलर प्लांट की सीमा के भीतर स्थित नाप एवं सिविल भूमि के विषय में सोलर प्लांट के प्रतिनिधि द्वारा मौके पर बताया गया कि काश्तकारों द्वारा ही भूमि लीज पर देकर वृक्षों का स्वयं ही पातन किया गया है। इस सम्बन्ध में किन काश्तकारों द्वारा सोलर प्लांट के भूमि लीज पर दी गयी है और किस भूमि पर सोलर प्लांट द्वारा अतिक्रमण कर अवैध पातन किया गया है जिस हेतु दिनांक 09.07.2024 व 13.07.2024 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। (संलग्नक-03).
4. कि उक्त सोलर प्लांट द्वारा किसी भी प्रकार की आरक्षित भूमि या वन पंचायत भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। अतः अतिक्रमण सम्बन्धित शिकायत में वन विभाग के स्तर से किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त नाप खेत में प्रतिबन्धित वृक्षों के पातन होने पर वन विभाग से कार्यवाही की जाती है। इस क्रम में नाप भूमि में वृक्षों के अवैध पातन की स्थिति में वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 की धारा-13 व धारा-16 के अनुसार राजस्व विभाग भी कार्यवाही के लिए सक्षम है।
5. कि दिनांक 13.07.2024 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के दौरान राजस्व विभाग द्वारा कुल 05 खसरा नं० के भू-स्वामित्व स्पष्ट किये गये जिसमें स्पष्ट किये गये भू-स्वामित्व के खसरा/खेत नम्बरों में कुल 10 वृक्षों का पातन होना पाया गया जिसमें 04 चीड वृक्षों के पातन की अनुमति प्राप्त थी एवं शेष 06 चीड वृक्षों के अवैध पातन के लिए सम्बन्धित के विरुद्ध वन अपराध पंजीकृत कर कार्यवाही की गई है।
6. कि सोलर प्लांट की सीमा के भीतर स्थित शेष भूमि के विषय में राजस्व विभाग द्वारा भू-स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही आगे की कार्यवाही किया जाना सम्भव हो पायेगा। अतः इसके अतिरिक्त यह अवगत कराना समीचीन होगा कि नाप भूमि में वृक्षों के अवैध पातन की स्थिति में वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 13 व धारा-16 के अनुसार राजस्व विभाग भी कार्यवाही के लिए सक्षम है एवं नाप भूमि से सम्बन्धित समस्त अभिलेख जैसे-सजरा, खसरा, खतौनी एवं नक्सा राजस्व विभाग के कार्य क्षेत्र अन्तर्गत आते हैं।"

3. The above reply reveals that Northern Solar Energy Private Limited was found responsible for the felling of 35 trees, and the offence under the UP Protection of Trees Act, 1976, was registered against it. Though the above reply states that the penalty was recovered, it does not disclose the penalty that was recovered or the order that was passed in the criminal offence that was registered. Annexure R-2 filed alongwith this

report, discloses that the offence under Section 4/10 of the UP Protection of Trees Act, 1976, was registered. Section 10 of the Act of 1976 provides for the penalty for felling or removal of trees in contravention of Section 4 and also provides for punishment with imprisonment, which may extend to six months, and with fine, which may extend to Rs. 1,000/- or with both.

4. Learned Counsel appearing for the State of Uttarakhand submits that the PCCF had passed the final order under Section 10 of the Act. She is directed to file a copy of the said final order.

5. The report of the DFO, Almora, dated 23.07.2024 also discloses that in addition to the above 35 trees, 10 trees were found to be cut whereas the permission was for cutting of four Chir trees. For the remaining six illegally cut trees, the criminal offence was registered. The details of the offence so registered have not been disclosed in the report. Hence, in the next report, the DFO, Almora will disclose the details of the offence and also the outcome thereof.

6. The DFO, Almora has also filed a subsequent report dated 11.02.2025 which discloses that during two days joint inspection conducted on 25.10.2024 and 26.10.2024 by the officers of Forest and Revenue Department, it was found that 348 trees of Chir and Banj were cut and in respect of these 348 trees, offence against the land owners has been registered.

7. Alongwith the response of UKPCB filed on 22.07.2024, an inspection report has been enclosed, which discloses that 3 Solar Power Plants (Solar Power Generation through photo-voltaic cells) have been set up and these 3 plants are (1) M/s. Bindal Laser House Pvt. Ltd. (2) M/s.

Northern Solar Energy Pvt. Ltd. (3) M/s. SRN Sun N Solar Energy Pvt. Ltd.

8. The report of the DFO, Almora, dated 11.02.2025, in Paragraph 5, clearly mentioned that during the joint inspection, the remains of 348 illegally cut trees were found within the area of the solar plant. Illegal felling of trees not only requires action as contemplated under the Act of 1976, but the action is also required by the UKPCB for causing environmental damage on account of such illegal felling of trees.

9. Learned Counsel representing the Respondent No. 1, Member Secretary, UKPCB submits that now the action will be taken for imposition of environmental compensation upon the persons/entities/companies found responsible for the illegal felling of trees.

10. Learned Counsel representing Respondents No. 3 and 4, DFO, Almora and District Magistrate, Almora, has also submitted that these authorities will ascertain the role of the Solar Power companies in the illegal felling of trees and will take appropriate action.

11. Keeping in view the above observations, let the fresh action taken report be submitted by the respondents within eight weeks.

12. List on 19.05.2025.

Prakash Shrivastava, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

February 13, 2025
Original Application No. 379/2024
dv..

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

पत्रांक : 06902.230085, पीएस: 05002.232182 ई-मेल almodaforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 1589 / टी0सी0 / 23-3, (अल्मोड़ा) दिनांक 14 / 09 / 2022

आदेश

श्रीमती भवानी देवी पत्नी श्री मनोहर दत्त, निवासी ग्राम कुनीघार, तहसील भिकियासीण, जिला अल्मोड़ा ने अपनी माप भूमि कुनीघार में स्थित 25 घेड़ वृक्षों के पातन हेतु आवेदन किया था।

उप जिला अधिकारी, भिकियासीण, अल्मोड़ा की जांच आख्या पत्रांक 78/एस0टी0-विधि/2020-21, दिनांक 18 अगस्त, 2022 के अनुसार ग्राम कुनीघार के भेजी 1क ज0वि0 खतौनी-खाता सं0-00055, बसरा सं0-845 के खेत नम्बर 811 मध्ये स्थित 01 घेड़, खेत सं0-812 मध्ये स्थित 02 घेड़, खेत सं0-821 मध्ये स्थित 03 घेड़, खेत सं0-822 मध्ये स्थित 02 घेड़, खेत सं0-823 मध्ये स्थित 02 घेड़, खेत नम्बर-832 मध्ये स्थित 01 घेड़, खेत सं0-833 मध्ये स्थित 02 घेड़, खेत सं0-834 मध्ये स्थित 02 घेड़, खेत सं0-835 मध्ये स्थित 02 घेड़, खेत नम्बर-845 मध्ये स्थित 02 घेड़, खेत नम्बर-818 मध्ये स्थित 04 घेड़ व 819 मध्ये स्थित 02 घेड़ कुल 25 घेड़ वृक्षों पर श्रीमती भवानी देवी पत्नी श्री मनोहर दत्त, निवासी ग्राम कुनीघार, तहसील भिकियासीण, जिला अल्मोड़ा की माप भूमि का स्थापित प्रमाणित किया गया है। उक्त वृक्षों के पातन हेतु ग्रामवासियों/सहकारियों द्वारा अनापित प्रदान की गयी है जो पत्रापत्नी में संलग्न है। भू-स्वामी द्वारा उक्त वृक्षों के पातन/निस्तारण हेतु श्री गुरु पाल सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह, निवासी आमपोखरा, पीरूमदारा, जिला नैनीताल को अधिकृत किया गया है।

वन क्षेत्राधिकारी, जौरासी के जांच आख्या संस्तुति पत्रांक 458/23-1, दिनांक 12.09.2022 व उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत की संस्तुति के आधार पर वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1978 की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त वर्णित भूमि के 25 घेड़ वृक्षों के पातन की अनुज्ञा निम्न प्रतिबन्धों के अनुसार प्रदान की जाती है-

क्र.सं.	प्रजाति	व्यास श्रेणी							योग
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से ऊपर	
1	घेड़ सूखे खड़े	-	01	02	-	-	-	-	03
2	घेड़ हरे खड़े	02	-	05	03	02	-	-	12
3	घेड़ अर्धसूखे खड़े	-	03	03	02	-	-	-	08
4	घेड़ हरे गिरे	-	-	01	-	-	-	-	01
5	घेड़ हरे गिरे उखड़े	-	-	01	-	-	-	-	01
योग:-									25

उपरोक्त पातन अनुज्ञा निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत दी जाती है:-

- उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा 6 के अनुसार आपके कटने वाले वृक्ष के एवज में रूपया 11000.00 (रूपया ग्यारह हजार रू0 मात्र) प्रतिभूति के तौर पर वृक्षों को कटने से पूर्व अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा किया गया है।
- उक्त प्रतिभूति आपको तब वापस की जायेगी जब आप कटने वाले वृक्षों के स्थान पर 24 फलदार वृक्षों का रोपण कर करने बावत प्रमाण पत्र वन क्षेत्राधिकारी से प्राप्त करेंगे।
- लगाई गयी पौध की देखभाल भी आप कम से कम तब तक करते रहेंगे जब तक वे कमी 4 मीटर तक न हो जाय।
- भूमि अध्या कटने वाले वृक्षों के स्थापित के बारे में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाये तो इसका उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद की स्थिति में वन विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, जौरासी वन क्षेत्र, अल्मोड़ा में अपवि जारी होने की तिथि से एक माह तक मान्य होगी।

पत्रांक 478/23-1 दिनांक 15/09/2022

Neelot

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 1589 / 23-3 दिनांक 14/09/2022

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत।
- वन क्षेत्राधिकारी, जौरासी।
- श्रीमती भवानी देवी पत्नी श्री मनोहर दत्त, निवासी ग्राम कुनीघार, तहसील भिकियासीण, जिला अल्मोड़ा।
- अधिकृत प्रतिनिधि- श्री गुरु पाल सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह, निवासी आमपोखरा, पीरूमदारा, जिला नैनीताल।

प्रतिलिपि- अनुष्ठानिक मानिला आप उक्त माप भूमि में स्थित वृक्षों का निष्कासन पातन करवाएं। ध्यान रहे किसी प्रकार के अवैध पातन न होने पड़े। अवैध पातन की स्थिति में आप अपने उत्तरदायी होंगे। माप भूमि कुनीघार वन में विवाद का क्षेत्र स्थित। वृक्षों के उचित रूप से वृक्ष पातन न होने पड़े।


Neelot

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

वन क्षेत्राधिकारी,
जौरासी वन क्षेत्र

प्रतिबन्ध


1. नाप भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद होने पर जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
2. संग्रहित प्रकाष्ठ (छिल्का गुलिया/फर्राटा) की चट्टा बन्दी की जायेगी। निकासी हेतु प्रपत्र 'क' में आवेदन करने पर सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करने पर मौके की स्थिति के अनुसार वास्तविक रूप से घ०मी० में निकासी वन विभाग द्वारा दी जायेगी। छिल्का यदि गोल प्रकाष्ठ के रूप में हो तो उसकी नपत भी अंकित की जाय।
3. आस-पास के वन क्षेत्रों में किसी प्रकार की क्षति पाये जाने पर अनुमति निरस्त कर दी जायेगी तथा पृथक से वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
4. भूमि अथवा कटने वाले वृक्षों के स्वामित्व के बारे में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाये तो इसका उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
5. सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद की स्थिति में वन विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
6. उक्त संग्रहण की अनुमति, अनुमति पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन तक मान्य होगी। उसके बाद अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
7. चीड़ छिल्का गुलिया हेतु किसी अन्य सूखे/हरे वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।
8. इमारती लकड़ी के रूप में विदोहन योग्य चीड़ वृक्षों से छिल्का गुलिया का विदोहन नहीं किया जाएगा।
9. संग्रहित प्रकाष्ठ का निरीक्षण वन क्षेत्राधिकारी स्वयं करके यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस संग्रहित प्रकाष्ठ के निकासी की संस्तुति उनके द्वारा की जा रही है, किसी अन्य स्रोत से नहीं। समस्त संग्रहित प्रकाष्ठ की निकासी हेतु आवेदन करने से पूर्व प्रमाण पत्र भी देंगे कि वन क्षेत्र से कोई अवैध कार्य नहीं हुआ है।
10. उक्त अनुमति ग्राम कुणीधार के खाता खतोनी संख्या 25/2328 सहित समस्त खेत जिनका विवरण राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र कुणीधार, तहसील भिकियासैण, जिला अल्मोड़ा (राजस्व विभाग) द्वारा अपने जाँच आख्या दिनांक रहित द्वारा उल्लेखित है, के खेतों से ही छिल्का गुलिया विदोहन हेतु दी जा रही है। अन्यत्र से विदोहन करने पर अनुमति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी।


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

पत्रांक 2828 / 23-3 दिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत।
2. वन क्षेत्राधिकारी, जौरासी को सूचनार्थ एवं दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने हेतु प्रेषित। इसके अतिरिक्त संग्रहण की अवधि में भी आप समय-2 पर क्षेत्र का निरीक्षण करवाते रहें ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को प्रारम्भिक स्तर पर ही रोका जा सके/तदानुसार कार्यवाही की जा सके तथा सम्बन्धित श्रमिकों का सत्यापन भी अनिवार्य रूप से करवा लिया जाय।
3. श्री जोगादेव पुत्र श्री धनीराम, निवासी ग्राम कुणीधार, पटवारी क्षेत्र मानिला, तहसील भिकियासैण, जिला अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं उपरोक्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन करने हेतु।


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962-230065, फोन : 05962-232182 ई-मेल : almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 2828 / टीसी/ 23-3 अल्मोड़ा दिनांक 22/11/2021

आदेश

ग्राम कुणीघार की नाप भूमि में स्थित चीड़ के सूखे खड़े व गिरे वृक्षों व चीड़ खूंटों से छिल्का गुलिया फर्ाटा एवं प्रकाष्ठ संग्रहण हेतु श्री जोगादेव पुत्र श्री धनीराम, निवासी ग्राम कुणीघार, पटवारी क्षेत्र मानिला, तहसील भिकियारी, जिला अल्मोड़ा के द्वारा आवेदन किया गया है जिसमें आवेदक द्वारा राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र कुणीघार, तहसील भिकियारी, जिला अल्मोड़ा के जॉच आख्या दिनांक रहित से प्रकरण/स्वामित्व नियमानुसार इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर राजस्व विभाग की जॉच आख्या व उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत की संस्तुति तथा वन क्षेत्राधिकारी, जौरासी की जॉच आख्या संस्तुति पत्रांक 497/23-3, दिनांक 18.11.2021 के आधार पर वृक्ष सरदाण अधिनियम, 1976 के प्राविधानों के तहत उत्तर प्रदेश, वन अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या 5120/14-3-77 दिनांक 20.09.1976 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर उक्त नाप भूमि में चीड़ के सूखे खड़े व गिरे वृक्षों व चीड़ खूंटों से छिल्का गुलिया फर्ाटा व गोल प्रकाष्ठ के संग्रहण/निस्तारण की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-


क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	संग्रहण स्थल का नाम	वृक्ष प्रजाति	गोलाई							योग	कुल आवटन आयतन (घ0मी0)
				20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80 से ऊपर		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	श्री जोगादेव पुत्र श्री धनीराम, निवासी ग्राम कुणीघार, पटवारी क्षेत्र मानिला, तहसील भिकियारी जिला अल्मोड़ा	कुणीघार	चीड़ हरा खड़ा सिर सूखा	-	-	03	07	02	-	-	12	कुल- 35 चीड़ वृक्षों का पातन
2			चीड़ हरा खड़ा सिर सूखा	-	-	04	06	03	-	-	13	
3			चीड़ हरा खड़ा रंगग्रस्त	-	-	03	01	-	-	-	04	
4			चीड़ हरा खड़ा बिजली के तारों में	03	-	02	-	-	01	-	06	
5			चीड़ खूंट	-	16	18	21	16	6	-	77	77 चीड़ खूंटों का कुल आयतन- 193.303 घ0मी0 का 25 प्रतिशत 48.325 घ0मी0 छिल्का गुलिया फाड़ फर्ाटा
नोट- उक्त वृक्षों की प्रजातिवार व उपरोक्तानुसार ही निकासी प्रस्तुत की जाय।											48.325 घ0मी0 छिल्का गुलिया फाड़ फर्ाटा	

जाँच रिपोर्ट

Annexure C

उत्तम दि. 16.05.2025 को उत्तम कुशीधार में सोलर प्लांट अंतर्गत कुशीधार नाप भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गये पर नाप भूमि में पालन हुए विभिन्न व्यास वर्ग / सजाति चीड़ / बॉण वृक्षों का पालन (मोटे पर स्टैंड पाए गए) किय सम्बन्ध में अभियुक्तों द्वारा अपने निजी दखले उपयोग हेतु अनुमानतावरा चीड़ / बॉण वृक्षों का पालन किया जाना कतलामा तथा अभियुक्तों द्वारा किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाही नहीं चाही गई। विभाग द्वारा तम अभिवृष्ट भुगतान करने हेतु अभियुक्तों द्वारा सहमति अर्थाई गई तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं दोहराने जाने हेतु आग्रह किया गया।

सोमान स.प.अ. कार्यालय अल्मोड़ा के पालन अनुबा पत्रांक 2828/TC/23-3 दि. 22.11.21 अनुसार 35 व पत्रांक 1589/TC/23-3 दि. 14.09.22 अनुसार 25 वृक्षों के पालन की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिनके पत्रांक शेष 288 वृक्षों का E-3 संख्या 1261 के पृष्ठ सं. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 अनुसार कुल ₹ 14,40,000.00 (चौदह लाख चालीस हजार मात्र) (288 @ 5000/-) प्राप्त किया।



(चन्द्रशेखर)

वन करोगा

मार्गिका अनुभाग

48

एच (2) पंजिका

35

बुक नम्बर

पेज सं०

वन विभाग उत्तरांचल प्रदेश परिधि (सर्किल) उत्तरी कुमायूँ वृत्त अल्मोड़ा वन विभाग, अल्मोड़ा
वन्य अपराध उत्तर प्रदेश प्रसूचना (रिपोर्ट सं० 04-चार) दिनांक 13.07.2024
1976 की धारा 4/10 अंतर्गत अधिक्षेत्र राजि जगदसी, वन क्षेत्र

1 - नाम; पिता का नाम व निवास स्थान नाथन सोलर एनर्जी एवं ड.ए.एन
Sun Salar energy PVT L.T.D
कम्पनी

- 2 - साक्षी का नाम - (1) स्वयं
- (2) लती चन्द्रसेखर मिश्रा, वन सेवा मानिला जमुनाग
- (3) लती अजय सिंह, वन बीट अधिकारी, मानिला II बीट

3 - कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक कि० 13.07.2024 को राजस्व विभाग के जॉब कोन्सल्ट कप से नाम ठुणीधार में सोलर प्लांट क्षेत्र अंतर्गत निरीक्षण किया गया निरीक्षण क्रोराव राजस्व विभाग के कप को रूपे रक्तरा सं. 3234 में 30-40 एवं 3075 में 30-40, 40-50 पास लेणी के कुल 50% जोड़ कुल के रूपे पाए जिनका पानन नाथन सोलर कम्पनी लिमिटेड Sun Salar energy PVT L.T.D कम्पनी द्वारा उर्वर कप से किया जा रहा था।

4 - मूल्य (रुपये) ₹ 50,000.00

वन क्षेत्राधिकारी
28.07.2024
सू. डि. के. सं. 25/9/2024-25
5 - चालान और अनुसन्धान (इन्वेस्टिगेशन) उत्तर प्रदेश वन सेवा जगदसी जगदसी वन क्षेत्र के वन विभाग के SUPPLY 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत।

जांच रिपोर्ट संसभय प्रस्तुत करे।
30/07/2024
जीनीखेत

- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख उक्त प्रसूचना रिपोर्ट मध्ये वन सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु रेखांकित।

Sherneta
(विशार कन्व)
वन बीट अधिकारी
मानिला II बीट

बैंच क्वेश सं० ०१/जी०/२०२४-२५

मूल में प्रमाण उप प्रमा० वना० मधेव्या बानीखेत की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ततिनिधि - अनु० अक्षि० मालिका को नियमानुसार प्रांच कर, अतिरिक्त कार्यवाही हेतु प्रेषित।

बन क्षेत्र अधिकारी
नीरसी ख क्षेत्र
अल्पमूल्य बन प्रमाण-परमीटर

[Handwritten signature]

बैंच क्वेश सं० ०१/जी०/२०२४-२५

मूल में प्रमाण उप प्रमा० वना० मधेव्या बानीखेत की सेवा में प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त क्वेश की प्रांच अक्षि० अक्षि० मालिका से कशमी गम्भी अनु० अक्षि० मालिका वि अर्चें आरब्ध अनुसा प्रुष्ठाकिल अपशायि अथ अपना अपशाय स्वीकार विमा गमा ब्यमान संलग्न है। किसी प्रकार वि अदावती कार्यवाही नहीं पाएगा है।

मधेव्या बन अपशाय का धुर्माना बिल रु ३००००.०० (तीस हजार) मात्र कि बनशशी E-3 खं० 1261 (न०) पि० 15.02.25 से वसूल कर राजस्व मव सं० (10) में प्राप्त कर आन्वयाइनचायन सं० 04060225 E.00.4) 505 पि० 25.02.25 एवं S.B. नं० चौखुवीमा के पत्रश्ल नं० 1814/19946 से जमा किया गया है।

अतः अतुयेष्ट है कि उक्त क्वेश को प्रशमित करके हेतु सूचना सेवा में सापर प्रेषित है।

- संलग्न :- ① ब्यमान सब प्रांच
② E-3 रसीद

[Handwritten signature]
बन क्षेत्र अधिकारी
नीरसी ख क्षेत्र

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 6195 / 13-1, अल्मोड़ा, दिनांक 17/05/2025

प्रशमन आदेश

रेंज केस संख्या 09/जौरासी/2024-25

उपरोक्त केस वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के तहत दर्ज किया गया है। अपराधी नार्दन सोलर एनर्जी एवं एस0आर0एन0 सन सोलर एनर्जी प्रा0 लि0 कम्पनी द्वारा बिना अनुमति के नाप भूमि कुणीधार में 30-40 व्यासवर्ग के 04 एवं 40-50 व्यासवर्ग के 02 कुल 06 चीड़ वृक्षों का पातन किये जाने का अपराध स्वीकार किया गया है। वन क्षेत्राधिकारी जौरासी द्वारा केस में रु0 30000.00 (तीस हजार मात्र) प्रशमन धनराशि ई0-3 सं0 1261(76) दिनांक 15.02.2025 से वसूल कर राजस्व मद संख्या 10/जौरासी माह फरवरी 2025 में भारतीय स्टेट बैंक में आनलाईन चालान संख्या 04060225E0041505 दिनांक 25.02.2025 के माध्यम से राजकोष में जमा किये गये हैं तथा अपने पत्र मूल में उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत के माध्यम से प्रशमित करने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया गया।

अतः उक्त केस को वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 की धारा 15 मे निहित प्राविधानो के अन्तर्गत प्रशमित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। रेंज केस की मूल पत्रावली आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटायी जा रही है।


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

पत्रांक/ 6195 दिनांकित /13-1

प्रतिलिपि- उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत व वन क्षेत्राधिकारी, जौरासी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।


क्र० सं०	एच-2 केश संख्या	कुल वृक्ष	ई-03 संख्या जिससे धनराशि वसूल किया गया	धनराशि (लाख में)	अभ्युक्ति
1	52,53,54,55,56,57,58,59,60,61/जी०/2024-25	32	1261(89) दिनांक 16.05.2025	1.60	
2		41	1261(92) दिनांक 16.05.2025	2.05	
3		52	1261(94) दिनांक 16.05.2025	2.60	
4		57	1261(97) दिनांक 16.05.2025	2.85	
5		35	1261(98) दिनांक 16.05.2025	1.75	
6		39	1261(99) दिनांक 16.05.2025	1.95	
7		32	1261(100) दिनांक 16.05.2025	1.60	
योग-		288		14.40	


 प्रशासीय कर्नाधिकारी
 खल्सोड़ा इन प्रभाग अल्मोड़ा

जाँच रिपोर्ट

उत्तम दि. 16.05.2025 को उत्तम कुशीधार में सोलर प्लांट अंतर्गत कुशीधार नाप भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया जोने पर नाप भूमि में पालन हुए विभिन्न व्यास वर्ग / सजाति चीड़ / बॉण वृक्षों का पालन (जोने पर स्टैंड पाए गए) की सम्बन्ध में अभियुक्तों द्वारा अपने निजी दखले उपयोग हेतु अनज्ञानतावश चीड़ / बॉण वृक्षों का पालन किया जाना कतलामा तथा अभियुक्तों द्वारा किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही नहीं चाही गई । विभाग द्वारा तम अभिकरण भुगतान करने हेतु अभियुक्तों द्वारा सहमति अर्थाई गई तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं दोहराने जाने हेतु आग्रह किया गया ।

सोमान स.प.अ. कार्यालय अल्मोड़ा के पालन अनुबा पत्रांक 2828/TC/23-3 दि. 22.11.21 अनुसार 35 व पत्रांक 1589/TC/23-3 दि. 14.09.22 अनुसार 25 वृक्षों के पालन की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिनके पश्चात् शेष 288 वृक्षों का E-3 संख्या 1261 के पृष्ठ सं. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 अनुसार कुल ₹ 14,40,000.00 (चौदह लाख चालीस हजार मात्र) (288 @ 5000/-) प्राप्त किया ।



(चन्द्रशेखर)

वन करोगा

मार्गिका अनुभाग

48

एच (2) पंजिका

52

बुक नंबर

पेंज सं०

विभाग उत्तरांचल प्रदेश

परिधि (सर्किल) उत्तरी कुमायूं वृत्त

अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

व्यय अपराधचक्र के प्रसूचना (रिपोर्ट सं० 15 (पं०) दिनांक 02.11.2024
 न्यूनतम अधिनियम 1976
 की धारा 4/10 अंतर्गत
 अधिक्षेत्र राजि जी०दासी वन क्षेत्र

- नाम, पिता का नाम व निवास स्थान
1. श्यामल कर् 51० कच्छी राम, नाम. उणीधर, जे. माकला, जिला. अल्मोड़ा
 2. प्रियोचन 51० कच्छी राम, पता उपरोक्तानुसार
 3. नारायण कर् 51० लारा कर्, पता उपरोक्तानुसार
 4. शरन-चक्र 51० नन्दनिरोद, पता उपरोक्तानुसार

- साक्षी का नाम -
- (1) रंजन
 - (2) श्री संजय सिंह, जे. पी. जे. मानिला I सी
 - (3) श्री सिंघु मनरत, वन जखी

कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक
 दिनांक 25.10.2024 को नाम उणीधर नाम शक्ति के सोलर प्लेट
 पता 814/29-1 दि०. 28.10.2024 के निर्देश
 अंतर्गत शक्य विभाग ने नाम इस संदर्भ निरोध कराने (न्यूनतम अधिनियम 1976 के अंतर्गत) उपरोक्त नामित श-स्त्रास्त्रों/सुरतकारों के नाम शक्ति के गेट
 पार चला के बंधे का व्याख्यान विवरण निम्नानुसार है -

क्र.सं.	श-स्त्रास्त्रों/सुरतकारों का नाम	उपरोक्त पार चलों के संख्या	व्याख्यान विवरण
		रा. सं.	Co-1)(10-20)(20-30)(30-40)(40-50)(50-60)(60-70)
1.	नारायण कर् 51० कच्छी राम	01	- - - - - 01
2.	प्रियोचन 51० कच्छी राम	05	- - - 01 01 01 01 01
3.	नारायण कर् 51० लारा कर्	04	- - - 01 01 01 01 -
4.	शरन-चक्र 51० नन्दनिरोद	05	- - - 02 01 01 01
		13	- 05 06 02 - -

उपरोक्तानुसार मैंने पं० सं० 4० गेटे गये इन्होंने हमें के रूँट पार।
 वन क्षेत्राधिकारी

चालान और अनुसन्धान (इन्वेस्टिगेशन) उत्तर संदेश कृष्ण संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत।

प्रसूचना (रिपोर्ट) के धारे और क्रमांक आदि का उल्लेख अतः प्रसूचना रिपोर्ट संश्लेष्य की सेवा के आदानप्रदान कार्यवाही हेतु संकायित।

Shankar
 (निदेशक-वन)
 जे. पी. जे.
 मानिला I सी

बुक नम्बर

वन विभाग उत्तरांचल प्रदेश

परिधि (सर्किल) उत्तरी कुमायूं वृत्त

अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

अपराध का पूरा विवरण प्रसूचना (रिपोर्ट सं० 14 (चौकट) दिनांक 02.11.2024

नियंत्रण अधिनियम 1926 की धारा 4/10 के अंतर्गत

अधिक्षेत्र राजि ज्योत्सवी वन बोर्ड

1- नाम, पिता का नाम व निवास स्थान
1. लीलाधर 5/1 श्रीला क्त, कामे, उशीधर, पो० मानिला, पिन० अल्मोड़ा

2. मुफ्त कर 5/1 चंद्रगणी, पता उपरोक्तानुसार

3. नमला देवी 10/1 मसुरा क्त पता उपरोक्तानुसार

4. उर्पा क्त 5/1 चंद्रगणी पता उपरोक्तानुसार

2- साक्षी का नाम - (1) नरमं
(2) ली संजय सिंह, क.वी.ज. मानिला I बीट
(3) ली श्याम मनराल, वन आरबी

3- कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक
कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक 25.10.2024 एवं 26.10.2024 को कामे उशीधर नाम शक्ति के सोलर प्लेट आगो नालसा विभाग के सामे हुए वसुधत विभाग के वन विभाग के नमला देवी (उपरोक्तानुसार) उपरोक्त नानिल प्र-स्थापितो/कर्मचारी के नाम शक्ति के सोलर प्लेट वन के वन बोर्ड के नामापर विवरण निम्नानुसार है -

क्र.सं.	वै-नमला देवी/नमला क्त का नाम	कट वोट पर वनो के वन बोर्ड के नाम	वनास्कार विवरण						
			(0-10)	(10-20)	(20-30)	(30-40)	(40-50)	(50-60)	(60-70)
1.	लीलाधर 5/1 श्रीला क्त	वोट 02	-	01	-	-	-	01	-
2.	मुफ्त कर 5/1 चंद्रगणी	वोट 03	-	01	01	-	-	01	-
3.	मूल्य (रुपये)	वोट 01	-	-	01	-	-	-	-
4.	उर्पा क्त 5/1 चंद्रगणी	वोट 01	-	-	01	-	-	-	-
		वोट 03	01	-	02	-	-	-	-

उपरोक्तानुसार भोत्रे पर कुल 15 कटे गए पुराने वनो के वन पार ।

वन क्षेत्राधिकारी

5- चालान और अनुसन्धान (इन्वेसिगेशन) उत्तर प्रदेश वन संरक्षण अधिनियम 1926 की धारा 4/10 के अंतर्गत ।

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यारे और प्रमाण आदि का उल्लेख आतः समस सूचना रिपोर्ट महीना नी जेका ने आक्रमक नामिकां ही हेतु रोकाजिए ।

Handwritten signature and name: (मिथिले चक्र) क.वी.ज. मानिला II बीट

बुका नम्बर

विभाग उत्तरांचल प्रदेश

परिधि (सर्किल) उत्तरी कुमायूं वृत्त

अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

अपराध उत्तर प्रदेश वन प्रसूचना (रिपोर्ट सं० 15 (लेट) दिनांक 02.11.2024
 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत
 अधिक्षेत्र राजि - जोरखी वन क्षेत्र

नाम, पिता का नाम व निवास स्थान
 नाममात्र 51 धनीयत, पता उपरोक्तानुसार, पो. गानिला, जिला गानिला

सूदन चक्र 51 राधा चक्र, पता उपरोक्तानुसार

देवाधर 51 बहीयत, पता उपरोक्तानुसार

गुडडी देवी 51 रामधर चक्र, पता उपरोक्तानुसार

- साक्षी का नाम - (1) स्वयं
 (2) श्री राजम सिंह, प.जी.का. गानिला II वीट
 (3) श्री विमानु मजरात, वन आरक्षी

कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक
 कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक 25.10.2024 एवं 26.10.2024 को नाममात्र 51 धनीयत जोरखी के वनक्षेत्र में
 अज्ञात काल में नाममात्र विभाग के नाम पर वन क्षेत्र में निरीक्षण करवाते (नामात्र विभाग के नाम पर वन क्षेत्र में अज्ञात) उपरोक्त नामों के स्वामी/कानूनमारी ने नाममात्र में गाने पार चक्रों में वन का आसपास विवरण निम्नानुसार है -

नाममात्र 51 धनीयत	उक्त क्षेत्रों के स्वामी/नामात्र का नाम	उक्त क्षेत्रों के क्षेत्र सं.	विवरण	(0-10)	(11-20)	(21-30)	(31-40)	(41-50)	(51-60)	(61-70)
1.	नामात्र 51 धनीयत	86	वृक्ष	02	03	03	01	02	01	01
2.	सूदन चक्र 51 राधा चक्र	84	वृक्ष	01	01	01	01	01	01	01
3.	देवाधर 51 बहीयत	89	वृक्ष	01	02	04	02	01	01	01
4.	गुडडी देवी 51 रामधर चक्र	86	वृक्ष	02	05	03	02	01	01	01

उपरोक्तानुसार उक्त गाने पर 52 गांठे गार रुपये घुसों के वन पार ।

वन क्षेत्राधिकारी

चालान और अनुसन्धान (इन्वेस्टिगेशन) उत्तर प्रदेश वन संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत ।

प्रसूचना (रिपोर्ट) के व्योरे और प्रमाण आदि का उल्लेख अज्ञात स्वयं वन क्षेत्र रिपोर्ट में
 गाने पार की वन क्षेत्र में आसपास
 गाने पार की वन क्षेत्र में आसपास

Signature
 (विभागीय-चक्र)
 प.जी.का.
 गानिला II वीट

बुक नम्बर 48

एच. (2) पंजिका

पंज सं० 46

वृत्त विभाग उत्तरांचल प्रदेश

परिधि (सर्किल) उत्तरी कुमायूं वृत्त

अल्मोड़ा वन

प्रभाग, अल्मोड़ा

वृत्त अपराध उत्तर प्रदेश प्रसूचना (रिपोर्ट सं० 11 (गुगार) दिनांक 02.10.2024
 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत अधिक्षेत्र राजि - जौरामी वन क्षेत्र

1. नाम, पिता का नाम व निवास स्थान
 1. नीला देवी 6/0 रनेवा चंन, नाम कुशीधार, पो. गान्गिला, जिला अल्मोड़ा
 2. रघुवर फत 510 लाला फत पता उपरोक्ता कुशीधार
 3. ब्याली नाम 510 टीला नगी पता उपरोक्ता कुशीधार
 4. गणेशी फत 510 टीला नगी पता उपरोक्ता कुशीधार

2. साक्षी का नाम - (1) रघुवर
 (2) श्री संजय सिंह, ए.पी. ज. गान्गिला II सीट
 (3) श्री हिमांशु नन्दन, वन जाक्षी

3. कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक ललित ए.पी. ज. गान्गिला जौरामी के गान्गिला प्रभाग 014/29-I दि. 20.10.2024 के दिनांक 26.10.2024 को नाम कुशीधार जाप शक्ति में नीला देवी जंतगी वनप्रसू विभाग ने नाम इस वनप्रसू विभाग ने नाम (वापस विभाग के वृत्त में वापस (उत्तर) उपरोक्ता नामित ए.पी. ज. गान्गिला / गान्गिला के जाप शक्ति में नाम जाप हलो के वृत्त में वापसकार निष्पन्न किया गया है -

क्र.सं.	ए.पी. ज. गान्गिला / गान्गिला के नाम	उत्तर गान्गिला वन क्षेत्र के वृत्त में नाम	वृत्त में नाम						
1.	नीला देवी 6/0 रनेवा चंन	रनेवा चंन	02	01	01	01	01	01	01
2.	रघुवर फत 510 लाला फत	लाला फत	01	01	01	01	01	01	01
3.	ब्याली नाम 510 टीला नगी	टीला नगी	05	01	01	01	01	01	01
4.	गणेशी फत 510 टीला नगी	टीला नगी	05	01	01	01	01	01	01

उपरोक्ता कुशीधार ऊपर गान्गिला पर 41 नारे गर पुराने हलो के वृत्त पर ।
 वन क्षेत्राधिकारी

5. चालान और अनुसन्धान (इन्वेसिशन) उत्तर प्रदेश वन संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत ।

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के वृत्त और प्रमाण आदि का उल्लेख उत्तर प्रदेश प्रसूचना रिपोर्ट गान्गिला की वृत्त में जापनगत नामवासी हेतु किया गया ।

(Signature)
 C. गणेशी चंन
 ए.पी. ज.
 गान्गिला II सीट

वृत्त नम्बर

वन विभाग उत्तरांचल प्रदेश

पेज सं० 41

परिधि (सर्किल) उत्तरी कुमायूँ वृत्त

अल्मोड़ा वन

प्रभाग, अल्मोड़ा

अपराध (उत्तर प्रदेश) प्रसूचना (रिपोर्ट सं० 68 (आठ) दिनांक 02.11.2024
हृदय संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 अंतर्गत अधिष्ठाता राजी जीरामसी वन क्षेत्र

नाम, पिता का नाम व निवास स्थान
1. टाराल दत्त S/O शिवदत्त, ग्राम: कुशीधार, पो. गान्धिया, जिला अलीगढ़
2. भायुली देवी 640 नन्द विशोद, ग्राम: कुशीधार, पो. गान्धिया, जिला अलीगढ़
3. चंद्र दत्त S/O लाला दत्त, ग्राम: कुशीधार, पो. गान्धिया, जिला अलीगढ़

- साक्षी का नाम - (1) अच्युत
(2) श्री संजय सिंह, च. वी. अ. गान्धिया II बीट
(3) श्री रमिंदर नज्जाल, वन आरक्षी

कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक 01/11/2024 को जे. ए. मधोस जीरामसी के मार्गदर्शन में उत्तरांचल वन विभाग के वन संरक्षण निरीक्षण कर्मचारी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

संस्था/व्यक्ति का नाम	उत्तरांचल वन विभाग के वन संरक्षण निरीक्षण कर्मचारी द्वारा प्रमाणित किया गया है	व्यक्ति की पहचान
	संज्ञा	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
टाराल दत्त S/O शिवदत्त	03	01 01 01 01 01 01
भायुली देवी 640 नन्द विशोद	06	02 03 03 02 01 01
मूल्य (रुपये)	04	01 01 01 01 01 01
चंद्र दत्त S/O लाला दत्त	06	01 03 01 01 01 01

उपरोक्त अनुसार ऊपर सूची में 32 नारे गर कुचने हथियों ने खंड पार।

वन क्षेत्राधिकारी

चालान और अनुसंधान (इन्वेसिगेशन) उत्तर प्रदेश हृदय संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत।

प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख जे. ए. मधोस जीरामसी के मार्गदर्शन में उपरोक्त नार्मण की सेवा में।

Handwritten signature and name: (निरीक्षक-वन) क. वी. अ. गान्धिया II बीट

वन विभाग उत्तरांचल प्रदेश

परिधि (सर्किल) उत्तरी कुमायूं वृत्त

अल्मोड़ा वन

प्रभाग, अल्मोड़ा

वन्य अपराध उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 प्रसूचना (रिपोर्ट सं० 07-2024) दिनांक 02.11.2024

नवी धारा 4/10 अंतर्गत

अधिक्षेत्र राजि जोरसरी वन क्षेत्र

1- नाम, पिता का नाम व निवास स्थान
 1. धारणा कंत 510 लमका कंत, गताम, जुणीधर, पो. गानिला, जिला. अल्मोड़ा

2. लक्ष्मी कंत 510 लमका कंत, गताम, जुणीधर, पो. गानिला, जिला. अल्मोड़ा

3. प्रेमचललभ 510 लमका कंत, गताम, जुणीधर, पो. गानिला, जिला. अल्मोड़ा

2- साक्षी का नाम - (1) रमेश
 (2) श्री संजय सिंह, वन बी2 अधिकारी गानिला II बी2
 (3) श्री हिमंशु मन्साल, वन जाखी

5- कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक
 कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक: क. के. प्र. मंडल जोरसरी ने नामांकन फ. के. प्र. 014/29-17 दि. 20.10.2024 के

निर्देशानुसार कि. 25.10.2024 एवं 26.10.2024 को नाम जुणीधर नाम धूमि में गाल्ट प्लाट जिला वन विभाग के काम कर लक्ष्मी कंत (संरक्षण विभाग) ने नुचनी एवं लमका कंत (संरक्षण विभाग) द्वारा नामांकन प्र. सं. नि. 1/नालतारा) ने नाम धूमि में नारे गारु सुको ने वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है -

नाम	वृक्ष	1 (0-20)	2 (20-30)	3 (30-40)	4 (40-50)	5 (50-60)	6 (60-70)
1. बाला वन 510 लमका कंत	वृक्ष	06	01	01	01	01	01
	काष्ठ	09	04	00	01	-	-
2. लक्ष्मी कंत 510 लमका कंत	वृक्ष	04	01	01	-	01	01
	काष्ठ	04	01	02	-	-	-
4- मूल्य (रुपये)	वृक्ष	02	-	01	-	-	01
3. प्रेमचललभ 510 लमका कंत	काष्ठ	01	01	-	-	-	-

उल्लेखित मोटे पर कर 26 काटे गए पुराने वृक्षों के चूट याद ।

वन क्षेत्राधिकारी

5- चालान और अनुसन्धान (इन्वेसिशन) उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत ।

10- प्रसूचना (रिपोर्ट) के व्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख अतः प्रमाण प्रसूचना रिपोर्ट संशोधन की सेवा में संशोधन कार्यवाही हेतु संवाचित ।

Handwritten signature
 C. निशोर-चंद्र
 व. व. अ.
 गानिला II बी2

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 6196 / 13-1, अल्मोड़ा, दिनांक 17/05/2025

प्रशमन आदेश

रेंज केस संख्या 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61, / जौरासी / 2024-25

उपरोक्त केस वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के तहत दर्ज किये गये हैं। अपराधी नार्दन सोलर एनर्जी एवं एस0आर0एन0 सन सोलर एनर्जी प्रा0 लि0 कम्पनी द्वारा विना अनुमति के नाप भूमि कुणीधार में कुल 288 चीड़ वृक्षों का पातन किये जाने का अपराध स्वीकार किया गया है। वन क्षेत्राधिकारी जौरासी द्वारा उपरोक्त केसों में रु0 1440000.00 (चौदह लाख चालीस हजार मात्र) प्रशमन धनराशि ई0-3 सं0 1261(89),1261(92),1261(94) दिनांक 16.05.2025 एवं ई0-3 सं0 1261(97),1261(98),1261(99),1261(100) दिनांक 17.05.2025 से वसूल की गयी है तथा अपने पत्र मूल में उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत के माध्यम से प्रशमित करने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया गया।

अतः उक्त केस को वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 की धारा 15 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रशमित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। रेंज केस की मूल पत्रावली आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटायी जा रही है।



प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

पत्रांक / 6196 दिनांकित / 13-1

प्रतिलिपि- उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत व वन क्षेत्राधिकारी, जौरासी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।





कार्यालय
वन क्षेत्राधिकारी जोरासी वन क्षेत्र, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा
Office: Jirasi, Ranigela, Dehra Dun, Uttarakhand



मंत्रांक २४० / २७-१

जोरासी राशि

दिनांक १७ मई २०२५

सेवा मे

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

द्वारा:- उप प्रभागीय वनाधिकारी महोदय महोदय।

विषय:- रोज केशों की प्रशसन करने के सामान्य भी।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर सादर अपगत करना है कि प्राग कुपीवार में सोलर प्लर एनर्जी के रणगित्य के १४ ई० क्षेत्र में कर्मियों के नाम व सिविल बेंचम नूनि में सोलर प्लान्ट स्थापित किया गया है। उक्त प्लान्ट के स्वामी द्वारा नाम व सिविल बेंचम नूनि में अर्द्ध कटान/पातन कि शिकायत प्राप्त हुई, प्राग शिकायत के कग पर अनुभाग अधिकारी गागिला द्वारा टीम के साथ प्राग कुपीवार में स्थापित सोलर प्लान्ट का निरीक्षण / जांच किया गया। निरीक्षण/जांच के दौरान मौके पर विभिन्न व्यासयर्ग के कुल ३४४ वृक्षों के कुट कटे हुए पाये गये। जिनका सन्धित भू-स्वामियों के नाम अपराय दर्ज किया गया है। श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी महोदय अल्मोड़ा की मत्र संख्या २५२५/टी०सी०/२३-३ दिनांक २२.११.२०२१ के कग पर ३५ संख्या एंप १५८९/टी०सी०/२३-३ दिनांक १४.०९.२०२२ के कग पर २५ संख्या कुल ६० वृक्षों के पातन की अनुमति प्राप्त हुई थी।

महोदय सन्धित भू-स्वामियों द्वारा अपना अपराय स्वीकार किया गया है तथा किसी प्रकार की कोई अदालती कार्यवाही नहीं करी गई है। उक्त कटे गये वृक्षों के सौम्य दोगुने वृक्ष लगाये जाने हेतु सहमति जताई गई है।

अक्त प्राग कुपीवार में स्थापित सोलर प्लान्ट में (३४४-६० = २८८ वृक्ष) के अर्द्ध कटान/पातन पर ५००० प्रति वृक्ष अनुसार जुनान की धनचाहि लक्ष १६४००००.०० मात्र सन्धित भू-स्वामियों से यकूल कि गई है। विवरण गिन्नानुसार है।

क्र० सं०	एच-०२ केश संख्या	कुल वृक्ष	ई-०३ संख्या जिसरो घनराशि वकूल किया गया।	घनराशि (लाय में)	अन्युक्ति
१.	५२५३,५४,५५,५६,	३२	१२६१(८९) दिनांक १६.०५.२०२०५	१.६०	
२.	५७,५८,५९,६०,६१/	४१	१२६१(९२) दिनांक १६.०५.२०२०५	२.०५	
३.	जो०/२०२४-२५	५२	१२६१(९४) दिनांक १६.०५.२०२०५	२.६०	
४.		५७	१२६१(९७) दिनांक १७.०५.२०२०५	२.८५	
५.		३५	१२६१(९९) दिनांक १७.०५.२०२०५	१.७५	
६.		३९	१२६१(९९) दिनांक १७.०५.२०२०५	१.९५	
७.		३२	१२६१(१००) दिनांक १७.०५.२०२०५	१.६०	
		२८८		१४.४०	

द्वारा: महोदय से अनुरोध है कि निम्न केशों का प्रशसन करने की कृपा करें।

संदर्भ:-

१. एच-२ केश नय वधान/जांच मूल में।
२. ई० ३ स्वीद छायाप्रति।

वन क्षेत्र आधिकारी
जोरासी वन क्षेत्र



Forest Department Jirasi Letter 27-1
उत्तराखण्ड वन राशि आगम राशि

कार्यालय उपजिलाधिकारी भिकियासैण
संख्या 428 / मुख्य-कूणीधार सो.प्लाट जॉच / 2025 दिनांक 16.05.2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा।


विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 379 / 2024
भुवन चन्द्र भट्ट बनाम सोलर प्लास इन्जर्जी प्रा.लि. व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 5549 / 29-313 अल्मोड़ा दिनांक 11.04.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा.विधायक, विधान सभा क्षेत्र सल्ट जिला अल्मोड़ा के शिकायती पत्र दिनांक 13.08.2022 के क्रम में जिलाधिकारी महोदया अल्मोड़ा के कार्यालय आदेश संख्या 82323 / तीस-ए.जे.ए. / A / 2021-22 दिनांक 03.09.2022 द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति की आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में प्रकरण में गठित समिति की आख्या संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्न:- यथोक्त।


(सीमा विश्वकर्मा)

उपजिलाधिकारी, भिकियासैण।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


(सीमा विश्वकर्मा)

उपजिलाधिकारी, भिकियासैण।

संयुक्त निरीक्षण आख्या

जिलाधिकारी महोदय अल्गोड़ा के कार्यालय आदेश संख्या 8232/तीस-ए.जे.ए./A/2021-22 दिनांक 03.09.2022 द्वारा तहसील गिकियासैण अन्तर्गत ग्राम कूणीधार में लगाये गये सोलर प्लांट की जाँच हेतु चार सदस्यीय समिति गठित कर निम्नलिखित 03 बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

- 1-क्या योजना नाप भूमि में भूगिधरों की सहमति से बनायी गयी है?
- 2-क्या योजना बेनाप भूमि में बनाई जा रही है, तो क्या नियमानुसार विभागीय स्वीकृत है?
- 3-योजना के क्षेत्र में कितने बड़े पेड़ काटे गये हैं, क्या नियमानुसार वन विभाग की स्वीकृति थी?

उक्त आदेश के अनुपालन में समिति द्वारा धारित अभिलेखों एवं समय-समय पर प्रेषित आख्याओं के आधार पर सभी बिन्दुओं पर जाँच की गयी, जाँच निम्नानुसार है।

1- ग्राम कूणीधार में तीन निजी कम्पनियों क्रमशः नॉर्दन सोलर एनर्जी प्रा0लि0, विन्दाल लेजर होम्स प्रा0लि0 तथा एस0आर0एन0सन एन सोलर एनर्जी प्रा0लि0 के सोलर प्लांट संचालित है। अभिलेखोंनुसार उक्त तीन निजी कम्पनियों (नॉर्दन सोलर एनर्जी प्रा0लि0, विन्दाल लेजर होम्स प्रा0लि0 तथा एस0आर0एन0सन एन सोलर एनर्जी प्रा0लि0) द्वारा ग्राम कूणीधार के ज0वि0खतौनी खाता संख्या/बसरा संख्या 5/1220, 06./1280, 10/1041, 11/1160, 12/599, 13/1064, 14/492, 26/1567, 27/1049, 28/3245, 29/1057, 30/468, 31/2382, 39/1283, 40/1045, 41/488, 42/486, 47/619, 50/1806, 51/1064 व 67/1269 मध्ये कुल 46 खाताधारक काश्तकारों से 8.697 हैक्टे भूमि की 30 वर्षों हेतु लीज डीड की गयी है। तथा गैर ज.वि की श्रेणी 07 क की 0.800 हैक्टे भूमि काश्तकारों से आपसी सहमति के आधार पर प्लांट निर्माण हेतु उपयोग की गयी है जिसकी डीड नहीं की गयी है। इस प्रकार कुल 9.497 हैक्टे भूमि का प्रयोग सोलर प्लांट स्वामियों द्वारा प्लांट निर्माण हेतु किया गया है। उक्त प्लांट काश्तकारों की सहमति से बनाया जाना स्पष्ट है। लीज डीड के सम्बन्ध में उपनिबन्धक गिकियासैण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची संलग्न है।

2- सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा लीज भूमि के अतिरिक्त खसरा नम्बर 1105 जोकि ग्राम कूणीधार की गैर ज0वि0ख0खा0संख्या 56 में वर्ग 9(3)ड़ वंजर भूमि के नाग दर्ज अगिलेख है मध्ये लगभग 0.500 हे0 भूमि पर अतिक्रमण कर सोलर प्लान्ट का निर्माण किया गया है। प्लांट स्वामी द्वारा उक्त राजकीय भूमि को लीज पर लिये जाने हेतु किये गये आवेदन दिनांक 20.08.02022 के कम में जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पत्र संख्या 183/सात-भूलेख/2022-23 दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 द्वारा प्रकरण में चाही गयी आख्या के कम में उपजिलाधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या 58/मुख्य/2022 दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 द्वारा विस्तृत आख्या/प्रस्ताव प्रेषित किया गया है जिस पर शासन द्वारा अनुमति प्रदान किये जाने के कोई भी अगिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, प्लान्ट स्वामियों द्वारा भी अनुमति के सम्बन्ध में कोई अगिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, जिस कारण उक्त राजकीय भूमि पर लगाया गया प्लांट वर्तमान में अवैध पाया जाता है।

3- उक्त सोलर प्लांट परिसर में दिनांक 04.09.2022 को वन विभाग द्वारा मौके पर काटे गये वृक्षों की गणना उपरांत उक्त प्लांट निर्माण के दौरान चीड़ एवं बॉज के विभिन्न व्यास के 348 वृक्ष काटे जाने पाये गये हैं, जिस सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा समय समय पर चालानी कार्यवाही की गयी है एवं वर्तमान में भी कार्यवाही की जा रही है। जिसकी विस्तृत आख्या संलग्न है।

निष्कर्ष-

सोलर प्लांट स्वामियों द्वारा ग्राम कूणीधार की गैर ज०वि०ख०खा०संख्या 56 खसरा संख्या 1105 में वर्ग 9(3)ड बंजर भूमि के नाम दर्ज अभिलेख भूमि मध्ये कुल 0.500 हैक्टे राजकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बनाये गये सोलर प्लांट से दिनांक 22.09.2022 से आतिथि तक 28050 यूनिट प्रति माह का विद्युत उत्पादन किया गया है इस प्रकार 33 माह हेतु कुल 9,25,650(नौ लाख पच्चीस हजार छःसौ पचास) यूनिट विद्युत उत्पादन कर 4.38 रु. प्रति यूनिट की दर से कुल 40,54,347 रु (रु.चालीस लाख चौब्वन हजार तीन सौ सैंतालीस) का लाभ नियमों का उल्लंघन कर अर्जित किया गया है।


सोलर प्लांट स्वामियों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर किये गये विद्युत उत्पादन के कारण उक्त सोलर प्लांट स्वामियों से अर्जित लाभ की वसूली किये जाने के अतिरिक्त उक्त अर्जित लाभ पर जुर्माना लगाये जाने तथा राजकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण किये जाने तथा चीड़ एवं बॉज के 348 वृक्षों का अवैध कटान/पातन किये जाने के कारण वन विभाग के स्तर से कार्यवाही किये जाने के साथ ही उक्त प्लांट स्वामियों सुधाशु जिंदल एवं रुचि अग्रवाल निवासी रामनगर स्वामी मैसर्स नॉर्दन सोलर एनर्जी प्रा०लि०, ईशा अग्रवाल निवासी काशीपुर स्वामी मैसर्स बिन्दाल लेजर होम्स प्रा०लि० तथा सुरेश जिंदल एवं राकेश अग्रवाल निवासी रामनगर स्वामी मैसर्स एस०आर०एन० सन एन सोलर एनर्जी प्रा०लि० को सोलर प्लांट संचालन हेतु जारी की गयी अनुमति को निरस्त किये जाने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।

दिनांक:-16 मई,2025


प्रभागीय वनाधिकारी
द्वारा नामित प्रतिनिधि
वन क्षेत्राधिकार
औरंगाबाद


अधिशारी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड
भिकियासैण

वरिष्ठ परियोजना
अधिकारी उरेडा


उपजिलाधिकारी,
भिकियासैण।